



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम उ०प्र०, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow.

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680

ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com

19001/1/RO-W-UP/Forest/ 18844

दिनांक: 06.01.2023

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन,

5<sup>th</sup> फ्लोर, सेक्टर-2, अलीगंज, लखनऊ-226024.

विषय: एटा में अलीगढ़-कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 के कि०मी० 186.00 से कि०मी० 229.00 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधे के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 404 FRCM/Minutes दिनांक 27.12.2022.

महोदया,

दिनांक 19.12.2022 को आयोजित FRCM की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिमी, उ०प्र० के संयुक्त सलाहकार द्वारा उक्त विषयक अलीगढ़-कानपुर पैकेज-2 स्टेज-1 की compliance जमा करने की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि "उक्त मार्ग पर डी०एफ०ओ० एटा ने अपने पत्रांक 1207/14-1 एटा दिनांक 13.12.2022 से परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० अलीगढ़ को सूचित किया कि उक्त प्रस्ताव में सैंथरी वन ब्लाक एटा रेंज की गाटा संख्या-1076/0.352, 1077/0.0117, 1099/0.0557, 1101/0.0184, 1105/0.0655, 1106/0.0663 व 739/0.0258 कुल 7 गाटाओं में कुल रकबा-0.2786 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसे आपके द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/22374/2016 में शामिल नहीं किया गया है। अतः उक्त आरक्षित वन भूमि को उक्त प्रस्ताव में शामिल कराते हुए संशोधित प्रस्ताव या अलग से उक्त आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करें, तदोपरान्त ही उक्त प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।"

उक्त तिथि को FRCM में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी व आपके द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संबंध में नये प्रस्ताव प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उक्त भूमि का एन०पी०वी० व CA हेतु भूमि चिन्हित कर वृक्षारोपण की धनराशि जमा करा लिया जाये, पुराने प्रस्ताव में ही प्रभावित भूमि 0.2786 हेक्टेयर को शामिल कर क्षेत्रफल को NIC से संशोधित करा लिया जाये व तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

महोदया उक्त तिथि को आयोजित FRCM बैठक के कार्यवृत्त में तृटिवश आपके उक्त निर्देश छूट गये हैं।

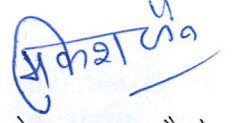
*(हस्ताक्षर)*

-1-

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे निवेदन है कि उक्त निर्देशों को सम्मिलित करते हुए संशोधित कार्यवृत्त प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

सं० D.F.O ETAM का फ़ांक 1207- दि० 13/12/2022

भवदीय,



(मुकेश कुमार जैन)

क्षेत्रीय अधिकारी-उ०प्र० (पश्चिमी),

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़।
3. परियोजना निदेशक-अलीगढ़।

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1207/14-1

एटा:दिनांक 13-12-2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,  
अलीगढ़।

विषय:-

एटा में अलीगढ़-कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 के कि०मी० 186.00 से कि०मी० 229.00 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 65.495 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधे के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

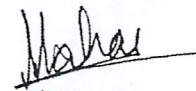
आपके कार्यालय की अन्तिम पत्र संख्या- डी-18712 दिनांक 15.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि उक्त प्रस्ताव में सैंथरी वन ब्लाक एटा रेंज की गाटा संख्या-1076/0.352, 1077/0.0117, 1099/0.0557, 1101/0.0184, 1105/0.0655, 1106/0.0663 व 739/0.0258 कुल 7 गाटाओं में कुल रकवा- 0.2786 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसे आपके द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/22374/2016 में शामिल नहीं किया गया है।

अतः उक्त आरक्षित वन भूमि को उक्त प्रस्ताव में शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव या अलग से उक्त आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करें तदोपरान्त ही उक्त प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भवदीय,



(सौरीष सहाय)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

एटा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा।

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

एटा।